

मैसर्स यूनीवर्थ टैक्सटाईल लिमिटेड

बनाम

कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, रायपुर

(सिविल अपील नंबर 6060/2003)

22 जनवरी, 2013

[डी. के. जैन और मदन बी. लोकर, न्यायाधिपतिगण]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 - धारा 28 सपठित उसके प्रावधान और धारा 112 - सीमा शुल्क और जुर्माने की वसूली - को चुनौती - निर्धारिती-अपीलकर्ता की दलील कि जुर्माने के साथ शुल्क की मांग को सीमा के कारण रोक दिया गया था, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। अभिनिर्धारित किया: न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि कर्तव्यों का भुगतान न करना मिलीभगत या जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को दबाने के बराबर है, अस्थिर है - धारा 28 दो स्थितियों पर विचार करता है, अर्थात अनजाने में भुगतान न करना और जानबूझकर चूक करना - पहले वाले को धारा 28 के मुख्य भाग में शामिल किया गया है और छह महीने की सीमा अवधि के साथ पूरा किया गया है, जबकि बाद वाले को अनुभाग के प्रावधान में जगह मिलती है और पांच वर्ष की एक सीमा अवधि का सामना करना पड़ता है। परंतुक के संचालन के लिए, जानबूझकर चूक करने का इरादा एक अनिवार्य शर्त है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, अपीलकर्ता के पक्ष में वास्तविक आचरण का अनुमान लगाया जाता है - जाहिर तौर पर अपीलकर्ता ने प्रयास किए कानून के उल्लंघन के बजाय उसके पालन की खोज में - इसके अलावा, धारा 28 का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब निर्धारिती के आचरण को चुनौती देने वाले विशिष्ट और स्पष्ट कथन कारण बताओ नोटिस में दिए जाते हैं, यह एक आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में कारण नोटिस पूरा

करने में विफल रहता है - इस तथ्य के कारण कि धारा 28 के प्रावधान के तहत दुर्भावनापूर्ण आचरण को साबित करने का भार राजस्व पर है; इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में किसी विशिष्ट कथन का उल्लेख नहीं मिलता है जो कि उक्त परंतुक के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है; ओर कि रिकॉर्ड पर कुछ भी अपीलकर्ता की ओर से जानबूझकर की गई चूक को प्रदर्शित नहीं करता है, उक्त प्रावधान के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को अपीलकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

सबूत का भार- किस पर है - अभिनिर्धारित किया : किसी भी प्रकार की दुर्भावना को साबित करने का भार आरोप लगाने वाले के कंधों पर है।

अपीलकर्ता, एक निर्यात उन्मुख इकाई ("ईओयू"), सभी ऊनी और पॉली-ऊनी खराब ग्रे कपड़ों के निर्माण में लगी हुई है। अपीलकर्ता की सहयोगी इकाई, यूनीवर्थ लिमिटेड, एक अन्य ईओयू, जो एक कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में लगी हुई है, ने यूनीवर्थ लिमिटेड और अपीलकर्ता दोनों द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली के उपयोग की अनुमति प्राप्त की। अपीलकर्ता ने यूनीवर्थ लिमिटेड से एक समझौते के तहत बिजली खरीदी जो 1999 तक जारी रही। जनवरी-फरवरी, 2000 से पहले, सहयोगी इकाई यूनीवर्थ लिमिटेड ने कैप्टिव पावर प्लांट चलाने के लिए आवश्यक भट्टी तेल ऑयल की खरीद की। भट्टी तेल की इस खरीद को अधिसूचना संख्या 53/97-सीयूएस के तहत सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। जनवरी-फरवरी, 2000 में, यूनीवर्थ लिमिटेड ने भट्टी तेल के शुल्क-मुक्त आयात के लिए खोले गए ऋण पत्र की सीमा समाप्त कर दी। इसके बाद, यूनीवर्थ लिमिटेड ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसे अपने उपयोग के लिए कैप्टिव पावर प्लांट चलाने की व्यवस्था की आवश्यकता होगी, और इसलिए, अपीलकर्ता को बिजली की आपूर्ति रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नतीजतन, इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में, अपीलकर्ता

ने अधिसूचना संख्या 53/97-सीयूएस का लाभ उठाते हुए, एक विदेशी व्यापार क्षेत्र इकाई, कोस्टल वार्टसिला पेट्रोलियम लिमिटेड से भट्टी तेल खरीदा। इसने बिजली उत्पादन के लिए यूनिवर्थ लिमिटेड को आपूर्ति की, जो उसे पहले की तरह मिलती रही।

इसके बाद, अपीलकर्ता को सीमा शुल्क आयुक्त से एक कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें उस अवधि के लिए शुल्क की मांग की गई थी, जिसके दौरान अपीलकर्ता ने यूनिवर्थ लिमिटेड की तरफ से भट्टी तेल का आयात किया था। कारण बताओ नोटिस 02.08.2001 को जारी किया गया था, अपीलकर्ता द्वारा जनवरी, 2001 में यूनिवर्थ लिमिटेड की ओर से भट्टी तेल का आयात करने के छह महीने से अधिक समय बाद।

आक्षेपित आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण ने भट्टी के आयात पर सीमा शुल्क की वसूली के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के तहत जुर्माने को बरकरार रखा, अपीलकर्ता की दलील को खारिज कर दिया कि जुर्माने के साथ शुल्क की मांग परिसीमा धारा वर्जित थी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 छह महीने की एक सीमा अवधि लगाती है जिसके भीतर संबंधित अधिकारियों को शुल्क नहीं लगाए जाने, कम लगाए जाने या गलती से वापस किए जाने के मामले में आयातक/निर्धारिती के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी होगी। यह केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे कि मिलीभगत, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को छिपाना में बिक्री सीमा अवधि को पांच वर्ष के रूप में पढ़ने की अनुमति देता है। चूंकि मौजूदा मामले में, उक्त कारण बताओ नोटिस छह महीने बीत जाने के बाद जारी किया गया था, राजस्व, अपनी कार्रवाई को कानून की नजर में वैध बनाने के लिए, केवल धारा के प्रावधान के तहत शरण ले सकता है। [पैरा 10] [39-डी-ई]

1.2. न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि केवल कर्तव्यों का भुगतान न करना मिलीभगत या जानबूझकर गलतबयानी करने या तथ्यों को दबाने के बराबर है, अस्थिर है। केवल गैर-भुगतान को परंतुक द्वारा विचार की गई तीन श्रेणियों में से किसी एक के रूप में मानने से कोई स्थिति नहीं बचेगी, जिसके लिए छह महीने की सीमा अवधि लागू हो सकती है। अनुभाग का मुख्य निकाय, वास्तव में, कर्तव्यों के भुगतान में सामान्य चूक पर विचार करता है और मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को दबाने के मामलों को, छोटे, विशिष्ट और अधिक गंभीर दायरे में छोड़ देता है। इसलिए, अपीलकर्ता के कृत्यों को परंतुक की प्रयोज्यता के लिए उपयुक्त मानने के लिये कुछ और दिखाया जाना चाहिए। यदि शुल्क निर्धारण योग्य कुछ वस्तुओं का गैर-प्रकटीकरण प्रावधान के क्रोध को आमंत्रित नहीं करता है, तो कोई यह समझने में विफल रहता है कि संबंधित विभाग से पूछताछ के बाद, प्रकट की गई वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान न करने का क्या हश्र होता है। [पैरा 12,16] [40-ई-जी; 44-एफ-जी]

1.3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 स्पष्ट रूप से दो स्थितियों पर विचार करती है, अर्थात् अनजाने में भुगतान न करना और जानबूझकर चूक करना। पूर्व को अधिनियम की धारा 28 के मुख्य भाग में शामिल किया गया है और उसे छह महीने की सीमा अवधि का सामना करना पड़ता है, जबकि बाद वाले को धारा के प्रावधान में जगह मिलती है और उसे पांच साल की सीमा अवधि का सामना करना पड़ता है। प्रावधान के संचालन के लिए, जानबूझकर चूक करने का इरादा एक अनिवार्य शर्त है। [पैरा 19] [47-जी]

1.4. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, अपीलकर्ता के पक्ष में सद्भावनापूर्ण आचरण का अनुमान लगाया जा सकेगा। अपीलकर्ता ने उसी संदेह के तहत काम किया जो इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे का आधार बनता है और इसलिए, इसे संबंधित प्राधिकारी, विकास आयुक्त को संबोधित करने का निर्णय लिया, इस प्रकार,

एक तरह से मूल्यांकन के लिए अपनी गतिविधियों की पेशकश की। विकास आयुक्त ने अपीलकर्ता के पक्ष में जवाब दिया और अपने जवाब में, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई छूट के पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय के एक पत्र का भी हवाला दिया, जो किसी को भी संतोषजनक लगा होगा। यह संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर ही अपीलकर्ता ने छूट का दावा करने का निर्णय लिया। भले ही कोई इस तर्क को स्वीकार कर ले कि अपीलकर्ता ने जिन प्रश्नों पर काम किया था, उनके उत्तरों के लिए विकास आयुक्त संभवतः सबसे उपयुक्त भंडार नहीं थे, यह अपीलकर्ता के प्रामाणिक आचरण को खत्म नहीं करता है। यह अभी भी इस तथ्य को दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने इसके उल्लंघन के बजाय कानून का पालन करने के प्रयास किए। [पैरा 23] [49-बी-ई]

पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे 1995 पूरक (3) एससीसी 462; साराभाई एम. केमिकल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, वडोदरा (2005) 2 एससीसी 168; 2004 (6) पूरक एससीआर 1010 आनंद निशिकावा कंपनी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ (2005) 7 एससीसी 749; 2005 (3) पूरक एससीआर 413; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम एचएमएम लिमिटेड 1995 पूरक (3) एससीसी 322; ईजलैंड कंबाइन्स, कोयंबटूर बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कोयंबटूर (2003) 3 एससीसी 410; 2003 (1) एससीआर 98; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2001) 4 एससीसी 593; 2001 (1) एससीआर 608; अबान लोयड चाइल्स ऑफशोर लिमिटेड और अन्य बनाम आयुक्त सीमा शुल्क, महाराष्ट्र (2006) 6 एससीसी 482; 2006 (4) पूरक एससीआर 290 का उल्लेख किया गया है -

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण - संदर्भित किया गया।

2. इसके अलावा, यह न्यायालय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से सहमत नहीं है, जिसने प्रामाणिक आचरण के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व यह देखते हुए रखा कि "अपीलकर्तागण अपने प्रामाणिक आचरण के दावे को, अपीलकर्ता पर साबित

करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाए थे"। यह कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार की दुर्भावना को साबित करने का भार आरोप लगाने वाले के कंधों पर है। [पैरा 24] [49-ई-एफ]

भारत संघ बनाम अशोक कुमार एवं अन्य (2005) 8 एससीसी 760: 2005 (4) पूरक एससीआर 317 – संदर्भित किया गया ।

3. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 28 का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब निर्धारिती के आचरण को चुनौती देने वाले विशिष्ट और स्पष्ट दावे कारण बताओ नोटिस में किए जाते हैं, एक आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में कारण बताओ नोटिस मिलने में विफल रहता है। [पैरा 25] [49-एच; 50-ए]

4. इस तथ्य के कारण कि अधिनियम की धारा 28 के परंतुक के तहत दुर्भावनापूर्ण आचरण को साबित करने का भार राजस्व के साथ निहित है; इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में किसी विशिष्ट कथन का उल्लेख नहीं मिलता है जो कि उक्त परंतुक के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है; और रिकॉर्ड पर कुछ भी अपीलकर्ता की ओर से जानबूझकर की गई चूक को प्रदर्शित नहीं करता है, यह माना जाता है कि उक्त प्रावधान के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को अपीलकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26] [51-ई-एफ]

प्रकरण कानून संदर्भ:

1995 पूरक (3) एससीसी 462 संदर्भ दिया गया पैरा 13, 15

2004 (6) पूरक एससीआर 1010 संदर्भ दिया गया पैरा 14

2005 (3) पूरक एससीआर 413 संदर्भ दिया गया पैरा 15

1995 अनुपूरक (3) एससीसी 322 संदर्भ दिया गया पैरा 16

2003 (1) एससीआर 98	संदर्भ दिया गया पैरा 17
2001 (1) एससीआर 608	संदर्भ दिया गया पैरा 18
2006 (4) पूरक एससीआर 290	संदर्भ दिया गया पैरा 20, 25
2005 (4) पूरक एससीआर 317	संदर्भ दिया गया पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6060/2023

अपील संख्या सी/482/2002-डी में नई दिल्ली में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 18.02.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए आर.पी. भट्ट, रूपेश कुमार, तारा चंद्र शर्मा, नरेंद्र एम. शर्मा।

मुकुल गुप्ता, विकास मल्होत्रा, एन.के. करहेल, निशांत पाटिल (बी. कृष्णा प्रसाद के लिए), प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डी.के. जैन, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 130-ई के तहत यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं गोल्ड (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित अंतिम आदेश संख्या 142/03-बी दिनांक 18.02.2003 से उत्पन्न हुई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा, न्यायाधिकरण ने भट्टी के तेल के आयात पर सीमा शुल्क और साथ ही अधिनियम की धारा 112 के तहत जुर्माने की वसूली को बरकरार रखा है, अपीलकर्ता की दलील को खारिज कर दिया है कि जुर्माना के साथ शुल्क की मांग को सीमा से रोक दिया गया था।

2. अपीलकर्ता, एक निर्यात उन्मुख इकाई (संक्षेप में "ईओयू"), सभी ऊनी और पॉली-ऊनी खराब ग्रे कपड़ों के निर्माण में लगी हुई है। इसे भारत सरकार, उद्योग

मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 31.08.1992 के अनुमति पत्र (संक्षेप में "एलओपी") के माध्यम से ईओयू का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे पत्र दिनांक 4.5.1993 द्वारा संशोधित किया गया था। अपीलकर्ता ने निजी बंधुआ गोदाम के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जो उसे सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग-रायपुर द्वारा सी. नंबर वी (अध्याय 51) 13-01/92/100% ईओयू दिनांक 30.09.1992 के तहत इनपुट, कच्चे माल आदि के भंडारण के लिए प्रदान किया गया था, या तो 100% ईओयू के लिए उपलब्ध रियायतों का लाभ उठाकर शुल्क मुक्त आयात किया जाता है या सभी ऊन, पॉली-ऊन और अन्य कपड़ों के निर्माण में उपयोग के लिए शुल्क के भुगतान के बिना स्थानीय रूप से खरीदा जाता है।

3. अपीलकर्ता के साथ बातचीत के लिए, इसकी सहयोगी इकाई, यूनिवर्थ लिमिटेड, एक अन्य ईओयू, जो एक कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में लगी हुई है, ने 1.11.1994 को एक और एलओपी प्राप्त की। उक्त एलओपी, दिनांक 1.11.1994, ने यूनिवर्थ लिमिटेड और अपीलकर्ता यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड दोनों द्वारा कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न बिजली के उपयोग की अनुमति दी। अपीलकर्ता ने एक समझौते के तहत यूनिवर्थ लिमिटेड से बिजली खरीदी जो 1999 तक जारी रही।

4. जनवरी-फरवरी, 2000 से पहले, सहयोगी इकाई यानी यूनिवर्थ लिमिटेड ने कैप्टिव पावर प्लांट चलाने के लिए आवश्यक फर्नेस ऑयल की खरीद की थी। भट्टी तेल की इस खरीद को अधिसूचना संख्या 53/97-सीमा के तहत सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, उसका सुसंगत भाग इस प्रकार पठनीय है-

"अधिसूचना संख्या 53/97-सीमा शुल्क, दिनांक 3-6-1997

निर्यात के लिए माल के उत्पादन के लिए या 100% निर्यात-उन्मुख उपक्रमों में उपयोग के लिए आयातित निर्दिष्ट माल पर छूट - नई योजना - अधिसूचना संख्या 13/81- सीमा शुल्क - रद्द किया गया।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, इसके द्वारा इसमें निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी जाती है। नीचे दी गई तालिका (बाद में माल के रूप में संदर्भित), जब भारत में आयात किया जाता है, तो भारत से बाहर निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य से, या माल या सेवाओं के निर्यात के लिए उत्पादन या पैकेजिंग या जॉब वर्क के संबंध में उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों द्वारा भारत से बाहर, (इसके बाद उक्त बोर्ड के रूप में संदर्भित), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से और उक्त सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, से..."

प्रासंगिक समय पर उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि 11 इस प्रकार पढ़ें: -

"11. उक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुशंसित ऐसे संयंत्रों और सेटों के लिए कैप्टिव उत्पादन सेट और उनके स्पेयर सहित कैप्टिव बिजली संयंत्र।"

5. जनवरी-फरवरी, 2000 में, यूनीवर्थ लिमिटेड ने भट्टी तेल के शुल्क-मुक्त आयात के लिए खोले गए ऋण पत्र की सीमा समाप्त कर दी। इसमें शुल्क मुक्त भट्टी तेल खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था दिनांक 04.01.1995 की अधिसूचना संख्या 01/95 के तहत जिसका शीर्षक "100% ईओयू में लेखों के निर्माण और पैकेजिंग या ईएचटीपी या एसटीपी में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्माण या विकास के लिए निर्दिष्ट सामान", की गयी। उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:-

"अधिसूचना संख्या 1/95-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम/1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उपधारा (1) सपठित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (माल विशेष महत्व का) की धारा 3 की उपधारा (3) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना के अनुबंध I में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को छूट देती है (इसके बाद उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया जाता है), जब के संबंध में लाया गया-

(ए) वस्तुओं के निर्माण और पैकेजिंग, या भारत से बाहर सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम (इसके बाद उपयोगकर्ता उद्योग के रूप में संदर्भित) में वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात के लिए उत्पादन या पैकेजिंग या जॉब वर्क के लिए; या,

XXX XXX XXX

संपूर्ण से,

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के तहत उस पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क, और

(ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत उस पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,

XXX XXX XXX

अनुलग्नक - I

3. विकास आयुक्त/नामित अधिकारी द्वारा अनुशंसित कैप्टिव उत्पादन सेट और ट्रांसफार्मर सहित कैप्टिव बिजली संयंत्र।

3 बी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा अनुमोदित कैप्टिव बिजली संयंत्रों के लिए स्पेयर, ईंधन, स्नेहक, उपभोग्य वस्तुएं और सहायक उपकरण, जिसमें कैप्टिव उत्पादन सेट और ट्रांसफार्मर के लिए स्पेयर, उपभोग्य वस्तुएं और सहायक उपकरण शामिल हैं।

3 सी. विकास आयुक्त की सिफारिश पर सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा अनुमोदित बॉयलर के लिए आवश्यक फर्नेस तेल।"

6. इसलिए, यूनीवर्थ लिमिटेड ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसे अपने उपयोग के लिए कैप्टिव पावर प्लांट चलाने की व्यवस्था की आवश्यकता होगी, और इसलिए, अपीलकर्ता को बिजली की आपूर्ति रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नतीजतन, इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में, अपीलकर्ता ने अधिसूचना संख्या 53/97-सीयूएस का लाभ उठाते हुए, एक विदेशी व्यापार क्षेत्र इकाई,

कोस्टल वार्टसिला पेट्रोलियम लिमिटेड से भट्टी तेल खरीदा। इसने बिजली उत्पादन के लिए यूनियवर्थ लिमिटेड को आपूर्ति की, जो उसे पहले की तरह मिलती रही।

7. चूंकि अपीलकर्ता किसी अन्य इकाई के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए फर्नेस ऑयल खरीद रहा था, इसलिए उसने विकास आयुक्त को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या क्रमशः भट्टी तेल और बिजली की आपूर्ति और प्राप्ति पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। विकास आयुक्त ने वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 12.10.1999 के एक परिपत्र का उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहा:-

"वे अनुमति संख्या 248(93) दिनांक 1.11.1994 के तहत अपनी सहयोगी कंपनी मैसर्स यूनियवर्थ लिमिटेड (यूनिट-1, एलओपी दिनांक 31.1.89) से अधिशेष बिजली खरीद रहे हैं और यूनिट ने 2590.40 केएल भट्टी तेल को मैसर्स यूनियवर्थ लिमिटेड (यूनिट-1) में स्थानांतरित कर दिया है, उनकी कैप्टिव बिजली खपत के लिए। अधिशेष बिजली खपत के लिए पीओएल उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात/खरीद के लिए इस कार्यालय से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक्विम नीति प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एक ईओयू वाणिज्य मंत्रालय के पत्र संख्या 1/1/98-ईपी दिनांक 12.10.1999 (एसआईसी) के अनुसार शुल्क मुक्त स्थानांतरण अधिशेष बिजली दूसरे ईओयू को बेच सकता है।"

[जोर दिया गया]

वाणिज्य मंत्रालय के पत्र संख्या 1/98-ईपी का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है।

"2. एक ईओयू/ईपीजेड इकाई से दूसरी ईओयू/ईपीजेड इकाई को अधिशेष बिजली की बिक्री पर किसी शुल्क का भुगतान करने की

आवश्यकता नहीं है। संबंधित ईपीजेड के विकास आयुक्त को ऐसी आपूर्ति के लिए लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और एनएफईपी की गणना के लिए आपूर्ति इकाई द्वारा कच्चे माल की खपत का उचित खाता रखा जाएगा।"

8. फिर भी, अपीलकर्ता को सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर से एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उस अवधि के लिए शुल्क की मांग की गई थी, जिसके दौरान अपीलकर्ता ने यूनिवर्थ लिमिटेड की ओर से भट्टी का आयात किया था। इसने इसके लिए निम्नलिखित कारण दिए: -

"1.1. मैसर्स यूनिवर्थ लिमिटेड (पावर डिवीजन), रायपुर, बिजली उत्पादन में लगी हुई है। मैसर्स यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड और मैसर्स यूनिवर्थ लिमिटेड दोनों अलग-अलग कंपनियां हैं जिनके पास अलग-अलग एलओपी केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या और अलग-अलग निदेशक मंडल हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार वे अलग-अलग कंपनियां हैं और वे अलग-अलग बैलेंस शीट तैयार करते हैं...

4.2. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं को मैसर्स कोस्टल वार्टसिला पेट्रोलियम लिमिटेड से 742.5 केएल भट्टी तेल प्राप्त नहीं हुआ था ...उनके कारखाने में बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उनके पास खरीदे गये भट्टी तेल का भंडार करने के लिये भंडारण की सुविधा नहीं थी ना ही उनके पास बिजली पैदा करने के लिए उक्त भट्टी तेल का उपयोग करने के लिए कोई बिजली संयंत्र था। उनके पास भारत सरकार से एलओपी भी नहीं थी...बिजली पैदा करने के लिए भट्टी के तेल की खरीद और उपयोग करने के लिए

क्योंकि उनके कारखाने में कोई बिजली संयंत्र नहीं था...उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि 742.5 केएल की खरीद सीमा शुल्क के भुगतान के बिना शिपिंग बिल के तहत भट्टी तेल, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के खिलाफ है।"

9. कारण बताओ नोटिस 02.08.2001 को जारी किया गया था, अपीलकर्ता द्वारा जनवरी, 2001 में यूनिवर्थ लिमिटेड की ओर से भट्टी तेल का आयात करने के छह महीने से अधिक समय बाद। छह महीने से अधिक की यह समयावधि अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान के कारण महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक समय पर धारा इस प्रकार पढ़ी गई-

"28. शुल्क, ब्याज आदि के भुगतान के लिए सूचना।

(1) जब कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जब कोई देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, आंशिक भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, तो उचित अधिकारी, -

(ए) किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सरकार द्वारा या किसी शैक्षिक, अनुसंधान या धर्मार्थ संस्थान या अस्पताल द्वारा एक वर्ष के भीतर किए गए किसी भी आयात के मामले में;

(बी) किसी भी अन्य मामले में, प्रासंगिक तिथि से छह महीने के भीतर, उस शुल्क या ब्याज के प्रभारी व्यक्ति को नोटिस दें जो लगाया या चार्ज नहीं किया गया है या जो बहुत कम लगाया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है या जिसे रिफंड गलती से कर दिया

गया है, जिससे उसे कारण बताना होगा कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए:

बशर्ते कि जहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है या ब्याज नहीं लगाया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है या मिलीभगत के कारण गलती से ब्याज वापस कर दिया गया है या आयातक या निर्यातक के एजेंट या कर्मचारी द्वारा मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के कारण गलती से वापस किया गया, इस उप-धारा के प्रावधान "एक वर्ष" और "छह महीने" शब्दों के समान प्रभावी होंगे, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किए गए।

स्पष्टीकरण - जहां किसी अदालत के आदेश द्वारा नोटिस की तामील पर रोक लगा दी जाती है, तो ऐसी रोक की अवधि को एक वर्ष या छह महीने या पांच साल की पूर्वोक्त अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।"

[जोर दिया गया]

10. यह धारा छह महीने की एक सीमा अवधि लगाती है जिसके भीतर संबंधित अधिकारियों को शुल्क नहीं लगाए जाने, कम लगाए जाने या गलती से वापस किए जाने के मामले में आयातक/निर्धारिती के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी होगी। यह उक्त सीमा अवधि को केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पांच वर्ष के रूप में पढ़ने की अनुमति देता है, जैसे मिलीभगत, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को छिपाना। चूंकि उक्त कारण बताओ नोटिस छह महीने बीत जाने के बाद जारी किया गया था, राजस्व, कानून

की नजर में अपनी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए, केवल धारा के प्रावधान के तहत शरण ले सकता है।

11. दोनों अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) और न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के दावों को खारिज कर दिया और शुल्क और जुर्माने के भुगतान की पुष्टि की। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अपीलकर्ता ने भट्ठी का तेल अपने कैप्टिव पावर प्लांट के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए खरीदा था, इसलिए वह शुल्क के भुगतान से छूट का दावा नहीं कर सकता था, अपने कैप्टिव पावर प्लांट के लिए ईंधन के शुल्क मुक्त आयात का अधिकार कैप्टिव पावर प्लांट के मालिक के पास है न कि उस पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली का उपभोक्ता। सीमा के मुद्दे पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो हमारी राय में, इस मामले में विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न है। न्यायाधिकरण ने इस संबंध में केवल निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"2.... हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि शुल्क की मांग सीमा से वर्जित है क्योंकि जनवरी/फरवरी 2001 की अवधि के लिए शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस 02.08.2001 को जारी किया गया था; विभाग को पता था कि अपीलकर्ता उनके पास बिजली संयंत्र नहीं है और इस तरह भट्ठी के तेल का उपयोग उनके द्वारा बंदी बनाकर नहीं किया जा सकता था; यह दिनांक 17.07.2001 के पत्र से स्पष्ट है...

4... अपीलकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई है कि विभाग को इस तथ्य की जानकारी थी कि अपीलकर्ताओं के पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं था। इसे देखते हुए मांग को समय सीमा से प्रभावित नहीं माना जा सकता है।"

इसलिए, अपीलकर्ता इस अपील में हमारे सामने हैं।

12. हमने दोनों पक्षों को सुना है, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.पी. भट्ट, और राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल गुप्ता को सुना है। हम न्यायाधिकरण के तर्क से सहमत नहीं हैं। हमारी राय में, यह निष्कर्ष कि केवल कर्तव्यों का भुगतान न करना मिलीभगत या जानबूझकर गलतबयानी करने या तथ्यों को दबाने के बराबर है, अस्थिर है। यदि यह सच है, तो हम यह समझने में असफल हैं कि किस प्रकार का भुगतान न करना सामान्य डिफॉल्ट होगा? केवल गैर-भुगतान को परंतुक द्वारा विचार की गई तीन श्रेणियों में से किसी एक के रूप में मानने से कोई स्थिति नहीं बचेगी, जिसके लिए छह महीने की सीमा अवधि लागू हो सकती है। हमारी राय में, अनुभाग का मुख्य निकाय, वास्तव में, कर्तव्यों के भुगतान में सामान्य चूक पर विचार करता है और मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को दबाने के मामलों को एक छोटे, विशिष्ट और अधिक गंभीर दायरे में छोड़ देता है। इसलिए, अपीलकर्ता के कृत्यों को परंतुक की प्रयोज्यता के लिए उपयुक्त मानने के लिए कुछ और दिखाया जाना चाहिए।

13. यह न्यायालय, पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे, ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए में एक समान प्रावधान के प्रावधान की व्याख्या करते समय, जो ऊपर चर्चा की गई धारा 28 के प्रावधान के बराबर है, ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"4. यदि लेवी कम लगाई गई है या प्रासंगिक तिथि से छह महीने के भीतर नहीं लगाई गई है तो धारा 11 ए विभाग को कार्यवाही फिर से खोलने का अधिकार देती है। लेकिन प्रावधान एक अपवाद बनाता है और प्राधिकारी को प्रावधान में उल्लिखित परिस्थितियों में प्रासंगिक तिथि से पांच साल के भीतर इस शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देता है, इसमें से एक तथ्यों का दमन है। इस शब्द का अर्थ कानूनी

तौर पर और अन्यथा भी सर्वविदित है। सामान्य समझ में यह अलग नहीं है कि विभिन्न शब्दकोशों में क्या समझाया गया है, जब तक कि निश्चित रूप से जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है वह अन्यथा इंगित करता है। प्रावधान का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसका उपयोग धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर चूक जैसे कड़े शब्दों के साथ किया गया है। वास्तव में यह परंतुक में प्रयुक्त सबसे हल्की अभिव्यक्ति है। फिर भी जिस परिवेश में इसका उपयोग किया गया है, उसे सख्ती से समझना होगा। इसका मतलब कोई चूक नहीं है। कार्य जानबूझकर किया जाना चाहिए। कराधान में इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि शुल्क भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। जहां तथ्य दोनों पक्षों को ज्ञात हैं, किसी एक द्वारा वह करने में चूक करना जो उसने किया होगा और वह नहीं जो उसे करना चाहिए था, इसे दमन नहीं माना जाएगा।"

[जोर दिया गया]

14. साराभाई एम. केमिकल्स बनाम कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज वडोदरा में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ऊपर दी गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

"23. अब सीमा के प्रश्न पर आते हुए, शुरुआत में, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दो अवधारणाएँ हैं जो इस मामले पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए इसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अनुमोदन/मूल्यांकन को फिर से खोलना सीमा की विस्तारित अवधि के संबंध में मांग बढ़ाने से अलग है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,

1944 की धारा 11 ए(1) के तहत, एक उचित अधिकारी गैर-लगान, गैर-भुगतान, कम शुल्क, कम भुगतान या गलत रिफंड के कारण शुल्क से बचने के मामलों में अनुमोदन/मूल्यांकन को फिर से खोल सकता है, बशर्ते यह प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाए। दूसरी ओर, विस्तारित अवधि के संबंध में शुल्क की मांग धारा 11 ए(1) के परंतुक में उल्लिखित है। उस प्रावधान के तहत, ऐसे मामलों में जहां उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने, या किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण गलती से वापस कर दिया गया है। शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या नियमों की मांग प्रासंगिक तिथि से पांच साल के भीतर की जा सकती है। वर्तमान मामले में, हम धारा 11 ए(1) के प्रावधान से चिंतित हैं।

24. कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे (1995) 6 एससीसी 117 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि सीमा की विस्तारित अवधि के लिए धारा 11 ए(1) के प्रावधान को लागू करने के लिए शुल्क से बचने का इरादा साबित किया जाना चाहिए। आगे यह माना गया है कि कर्तव्य से बचने का इरादा "धोखाधड़ी और मिलीभगत" अभिव्यक्ति में बनाया गया है, लेकिन गलत बयानी और दमन पूर्ववर्ती शब्द "जानबूझकर" द्वारा योग्य है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि तथ्य को दबाया या गलत बयान किया जा सकता है, जो जानबूझकर नहीं है और फिर भी धारा 11 ए के प्रावधान को लागू करने के लिए एक स्वीकार्य आधार बनता है।

25. पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाम सी.सी.ई. [1995 (78) ईएलटी 401(एससी)] के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि धारा 11 ए(1) के प्रावधानों के तहत पांच साल की विस्तारित अवधि केवल निर्धारिती की ओर से किसी भी चूक के लिए लागू नहीं है, जब तक कि यह एक शुल्क के भुगतान से बचने का जानबूझकर किया गया प्रयास हो। जहां दोनो पक्षकारो को तथ्यों के बारे में पता है, किसी एक द्वारा वह करने में चूक करना जो उसने किया होगा और वह नहीं जो उसे करना चाहिए था, तथ्य को छिपाना नहीं माना जाएगा।"

15. आनंद निशिकावा कंपनी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ में पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियों का फिर से जिक्र करते हुए, इस न्यायालय ने धारा 11-ए के प्रावधान की आवश्यकताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया: -

"26...इस न्यायालय ने पुष्पम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे (उपरोक्त) के मामले में, अधिनियम की धारा 11 ए के परंतुक में "तथ्यों का दमन" अभिव्यक्ति के अर्थ से निपटते हुए माना कि शब्द का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, इसका मतलब कोई चूक नहीं है और कार्य कर्तव्य के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर और जानबूझकर किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने आगे कहा:-

"कराधान में, इसका ("तथ्यों का दमन") एक ही अर्थ हो सकता है कि शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। जहां तथ्य दोनों पक्षों को ज्ञात हैं, किसी एक

द्वारा वह करने में चूक करना जो उसने किया होगा और वह नहीं जो उसे करना चाहिए था, इसे दमन नहीं माना जाता है।

27. पुष्पम फार्मास्युटिकल कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे [1995 पूरक (3) एससीसी 462] के मामले में इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, हम पाते हैं कि "तथ्यों को दबाने" का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। जब तथ्य दोनों पक्षों को ज्ञात थे, तो किसी के द्वारा वह करने की चूक जो उसने किया होगा और वह नहीं जो उसे करना चाहिए था, इससे दमन नहीं होगा। यह स्थापित कानून है कि घोषणा करने में विफलता मात्र जानबूझकर दमन नहीं माना जाता है। जानबूझकर दमन का पता लगाने के लिए निर्धारिती की ओर से कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए। इसलिए, ऊपर दिए गए हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता की ओर से सही जानकारी का खुलासा न करने या शुल्क के भुगतान से बचने का कोई जानबूझकर इरादा नहीं था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के लिए यह खुला नहीं था कि वह अधिनियम की धारा 11 ए के परंतुक में बताए गए तरीके के अनुसार शुल्क वसूलने के लिए आगे बढ़े।"

16. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम एचएमए लिमिटेड में, इस न्यायालय ने माना कि शुल्क निर्धारण योग्य कुछ वस्तुओं का खुलासा न करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ए(1) के प्रावधान में स्पष्ट दुर्भावना के समान नहीं है। इसने सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से प्रतिपादित किया :-

"उनकी वर्गीकरण सूची में अपशिष्ट/उप-उत्पाद की केवल गैर-घोषणा उक्त उत्पाद पर देय उत्पाद शुल्क की चोरी के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर रोकने को स्थापित नहीं कर सकती है। वकील ने तर्क दिया, करदाता के कथन पर वास्तविक विश्वास हो सकता है कि उक्त अपशिष्ट या उप-उत्पाद पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता है और इसलिए इसे उनकी वर्गीकरण सूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इससे यह साबित नहीं हो सकता है कि शुल्क के भुगतान से बचने का इरादा था या अधिनियम की धारा 11 ए(1) के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए निर्धारित धोखाधड़ी, मिलीभगत, कदाचार या दमन का दोषी था। इस तर्क में काफी दम है।

इसलिए, यदि शुल्क निर्धारण योग्य कुछ वस्तुओं का गैर-प्रकटीकरण प्रावधान के क्रोध को आमंत्रित नहीं करता है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि संबंधित विभाग से पूछताछ के बाद, प्रकट की गई वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान न करने का क्या हश्र होता है।"

17. वास्तव में, अधिनियम एक सकारात्मक कार्रवाई पर विचार करता है जो जानबूझकर चूक करने के नकारात्मक इरादे को उजागर करता है। वैसा ही ईज़लैंड कंबाइन्स, कोयंबटूर बनाम कलेक्टर ऑफ सैट्रल एक्साईज कोयंबटूर में अभिनिर्धारित किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा:-

"31. यह स्थापित कानून है कि सीमा शुल्क की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलतबयानी, तथ्यों को दबाने या किसी प्रावधान या नियमों के उल्लंघन के कारण भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, कम लगाया जाना चाहिए या कम भुगतान किया जाना चाहिए या गलत तरीके से वापस किया जाना

चाहिए। इस न्यायालय ने माना है कि ये सामग्रियां एक सकारात्मक कार्य को दर्शाती हैं और इसलिए, केवल शुल्क का भुगतान करने और/या लाइसेंस लेने में विफलता है जो किसी धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयानी या तथ्य को दबाने या किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण परिसीमा की विस्तारित अवधि को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

[जोर दिया गया]

18. हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के प्रावधान के आलोक में, उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हैं। हालाँकि, इसे अधिनियम में विस्तारित करने से पहले, हम उन बारीकियों को इंगित करना चाहेंगे जो दोनों के समान प्रावधानों को अलग करें, एक मुद्दा जिस पर एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में इस न्यायालय की कृपा निम्नलिखित शब्दों में प्राप्त हुई:-

"53... हमारा ध्यान सीसीई बनाम चेम्फर ड्रग्स एंड लिनिमेंट्स (1989) 2 एससीसी 127, कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम सीसीई (1995) 6 एससीसी 117, पद्मिनी प्रोडक्ट्स बनाम सीसीई (1989) 4 एससीसी 275, टी.एन. हाउसिंग बोर्ड बनाम सीसीई 1995 सप्लिमेंट (1) एससीसी 50 और सीसीई बनाम एच.एम.एम. लिमिटेड (उपरोक्त), के मामलों की ओर आकर्षित किया गया। इन सभी मामलों में न्यायालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधान की प्रयोज्यता को लेकर चिंतित था, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के मामले की तरह, गैर-लेवी या कम लेवी के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने

की सीमा अवधि को छह महीने की सामान्य अवधि से बढ़ाकर पांच साल करने पर विचार किया गया...

54. उपरोक्त प्रत्येक मामले में उक्त प्रावधान की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि धारा 11-ए को लागू करने के लिए, शुल्क के भुगतान से बचने का इरादा दिखाया जाना चाहिए। इसे कॉस्मिक डार्ड केमिकल मामले में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है जहां न्यायाधिकरण ने माना था कि जहां तक धोखाधड़ी, दमन या तथ्यों की गलत बयानी का सवाल है तो इरादे का सवाल महत्वहीन है। उपरोक्त व्याख्या से असहमत होते हुए भी यह न्यायालय ने पृष्ठ 119 पर इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पैरा 6)

'6. अब जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का सवाल है, यह स्पष्ट है कि अपेक्षित इरादा, यानी कर्तव्य से बचने का इरादा इन्हीं शब्दों में अंतर्निहित है। जहां तक तथ्यों को गलत तरीके से बताने या दबाने का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से 'गलत बयान या तथ्यों को दबाने' शब्द से पहले 'जानबूझकर' शब्द से योग्य हैं, जिसका अर्थ कर्तव्य से बचने के इरादे से है। शब्दों का अगला सेट 'इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन' फिर से तुरंत निम्नलिखित शब्दों 'शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से' द्वारा योग्य है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि तथ्य को दबाया या गलत बयान किया जा सकता है, जो जानबूझकर नहीं है और फिर भी धारा 11-ए के परंतुक के प्रयोजन के लिए एक स्वीकार्य आधार बनता है, गलतबयानी या तथ्य को दबाना जानबूझकर किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि प्रावधान में निहित तथ्यों के गलत विवरण या दमन के संबंध में पहले की अभिव्यक्ति का अर्थ निकालते समय "शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से" शब्द अत्यधिक प्रासंगिक थे। परंतुक को समग्र रूप से पढ़ते हुए न्यायालय ने माना कि कर्तव्य से बचने का इरादा अनिवार्य रूप से प्रावधान लागू होने से पहले था।

55. यद्यपि यह तर्क देने की कोशिश की गई थी कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के बराबर है, हम पाते हैं कि दोनों प्रावधानों की भाषा में एक महत्वपूर्ण अंतर है और वह है शब्द "शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से" उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों में घटित होता है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28(1) और विशेष रूप से प्रावधान में गायब हैं...

56. धारा 28 के प्रावधानों को अन्य बातों के साथ-साथ तब लागू किया जा सकता है जब आयातक या निर्यातक, उसके एजेंट या कर्मचारी द्वारा मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को दबाने के कारण कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है। भले ही दोनों अभिव्यक्तियाँ "गलत बयान" और "तथ्यों का दमन" को "जानबूझकर" शब्द से योग्य माना जाए, जैसा कि धारा 11-ए के परंतुक की व्याख्या करते समय कॉस्मिक डार्ड केमिकल मामले में किया गया था, इस तरह की जानबूझकर की गई रचना गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान लागू होंगे। इनमें से प्रत्येक अपील में इसे

एक तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए कि क्या कोई गैर-उगाही या कम उगाही हुई है और क्या यह मिलीभगत के कारण हुआ है या आयातक या उसके एजेंट या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों का दमन किया गया है।"

[जोर दिया गया]

19. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 28 स्पष्ट रूप से दो स्थितियों पर विचार करती है, अर्थात् अनजाने में भुगतान न करना और जानबूझकर चूक करना। पूर्व को अधिनियम की धारा 28 के मुख्य भाग में शामिल किया गया है और उसे छह महीने की सीमा अवधि का सामना करना पड़ता है, जबकि बाद वाले को धारा के प्रावधान में जगह मिलती है और पांच साल की सीमा अवधि का सामना करना पड़ता है। प्रावधान के संचालन के लिए, जानबूझकर चूक करने का इरादा एक अनिवार्य शर्त है।

20. इस न्यायालय ने अबान लोयड चाइल्स ऑफशोर लिमिटेड और अन्य बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, महाराष्ट्र में अभिनिर्धारित किया:-

"धारा 28(1) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है जहां शुल्क का भुगतान मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को दबाने के कारण बच गया है। जहां तक "गलत बयान या तथ्यों को दबाने" का सवाल है, वे शब्द "जानबूझकर" द्वारा योग्य हैं। शब्द "जानबूझकर", "गलत बयान या तथ्यों का दमन" शब्दों से पहले आता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि करदाता की ओर से कर्तव्य से बचने का इरादा होना चाहिए।"

21. राजस्व ने तर्क दिया कि तीन श्रेणियों में से, अपीलकर्ता का आचरण "जानबूझकर गलत बयान देने" के मामले में आता है और सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर के आदेश में

पाए गए निम्नलिखित बयान में "दुरुपयोग" शब्द के उपयोग की ओर इशारा किया गया है, अपने दावे को आगे बढ़ाते हुए:

"नोटिसकर्ता ने अधिसूचना संख्या 53/97- सीएमएस दि; 3.6.97 के तहत उपलब्ध सुविधा का दुरुपयोग करके सीमा शुल्क के भुगतान के बिना 54,57,357/- रुपये मूल्य का 742.51 किलोलीटर का भट्टी तेल खरीदा।"

22. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि आयुक्त की यह टिप्पणी, किसी भी भौतिक तथ्य या सबूत के आधार पर निराधार, मिलीभगत या दमन या गलतबयानी की ओर इशारा करती है। "जानबूझकर" शब्द का उपयोग एक मानसिक तत्व का परिचय देता है और इसलिए, अपीलकर्ता के कार्यों को मापकर उसके दिमाग को देखने की आवश्यकता होती है, जो किसी की मनःस्थिति का संकेत है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठा संस्करण (पीपी 1599) निम्नलिखित तरीके से "जानबूझकर" को परिभाषित करता है: -

"जानबूझकर, इच्छा की एक सचेत गति से आगे बढ़ना; स्वैच्छिक; जानबूझकर, जानबूझकर। उस परिणाम का इरादा करना जो वास्तव में पूरा होता है...

कोई कार्य या चूक "जानबूझकर किया गया है, यदि स्वेच्छा से और जानबूझकर और कुछ करने के इरादे से कानून मना करता है या विशिष्ट इरादे से कुछ ऐसा करने में विफल रहता है जिसे कानून के अनुसार करने की आवश्यकता होती है..."

23. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, अपीलकर्ता के पक्ष में प्रामाणिक आचरण का अनुमान लगाया जाएगा। अपीलकर्ता ने उसी संदेह के तहत काम किया जो हमारे सामने मुद्दे का आधार बनता है और इसलिए, इसे संबंधित प्राधिकारी, विकास आयुक्त को संबोधित करने का निर्णय लिया, इस प्रकार, एक तरह से मूल्यांकन

के लिए अपनी गतिविधियों की पेशकश की। विकास आयुक्त ने अपीलकर्ता के पक्ष में जवाब दिया और अपने जवाब में, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई छूट के पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय के एक पत्र का भी हवाला दिया, जो किसी को भी संतोषजनक लगा होगा। यह संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर ही अपीलकर्ता ने छूट का दावा करने का निर्णय लिया। भले ही कोई इस तर्क को स्वीकार कर ले कि अपीलकर्ता ने जिन प्रश्नों पर काम किया था, उनके उत्तरों के लिए विकास आयुक्त संभवतः सबसे उपयुक्त भंडार नहीं थे, यह अपीलकर्ता के प्रामाणिक आचरण को खत्म नहीं करता है। यह अभी भी इस तथ्य को दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने कानून का उल्लंघन करने के बजाय उसका पालन करने का प्रयास किया।

24. इसके अलावा, हम न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से आश्वस्त नहीं हैं जिसने प्रामाणिक आचरण के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व यह देखते हुए रखा कि "अपीलकर्ता अपने प्रामाणिक आचरण के दावे को अपीलकर्ता पर साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाए थे"। यह कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार की दुर्भावना को साबित करने का भार आरोप लगाने वाले के कंधों पर है। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम अशोक कुमार एवं अन्य में देखा कि "इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दुर्भावना को स्थापित करने का बोझ उस व्यक्ति पर बहुत भारी है जो आरोप लगाता है। दुर्भावना के आरोप अक्सर साबित होने की तुलना में अधिक आसानी से लगाए जाते हैं, और ऐसे आरोपों की गंभीरता उच्च स्तर की विश्वसनीयता के प्रमाण की मांग करती है।"

25. इसके अलावा, इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह माना है कि अधिनियम की धारा 28 का प्रावधान केवल तभी जब निर्धारिती के आचरण को चुनौती देने वाले विशिष्ट और स्पष्ट कथन कारण बताओ नोटिस में दिए गए हों, एक आवश्यकता जिसे वर्तमान मामले में कारण बताओ नोटिस पूरा करने में विफल रहता है।

अबान लोयड चाइल्स ऑफशोर लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"21. इस न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम एच.एम.एम. लिमिटेड (उपरोक्त) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11-ए की व्याख्या करते हुए देखा है कि धारा 11-ए (1) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए इसे दिखाया जाना चाहिए कि उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी, मिलीभगत या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से तथ्य को जानबूझकर गलत तरीके से छिपाने के कारण बच गया। यह देखा गया है:

...इसलिए, धारा 11-ए(1) के परंतुक को आकर्षित करने के लिए कारण बताओ नोटिस में यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी, मिलीभगत या जानबूझकर गलत बयानी के कारण लगाया या भुगतान नहीं किया गया है या निर्धारिती की ओर से तथ्य का दमन या ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा कर्तव्यों के भुगतान से बचने के इरादे से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन। कारण बताओ नोटिस में ऐसा कोई कथन नहीं पाया गया है। ऐसा कोई दावा नहीं है कि उत्पाद शुल्क की जानबूझकर चोरी की गई थी या धोखाधड़ी या मिलीभगत की गई थी या निर्धारिती जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्य को दबाने का दोषी था। कारण बताओ नोटिस में ऐसे किसी भी कथन के अभाव में यह समझना मुश्किल है कि राजस्व अधिनियम की धारा 11-ए(1) के प्रावधान के तहत नोटिस को कैसे कायम रखा जा सकता है।

यह माना गया कि कारण बताओ नोटिस में निर्धारिती को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रावधान में बताई गई विभिन्न चूक या कमीशन में से कौन सी अवधि छह महीने से पांच साल तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक कि निर्धारिती को नोटिस दिया जाता है कि निर्धारिती को विभाग के मामले को पूरा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। ये माना गया -

...इस विवाद में काफी दम है। यदि विभाग धारा 11-ए(1) के परंतुक को लागू करने का प्रस्ताव करता है, तो कारण बताओ नोटिस में निर्धारिती को यह बताना होगा कि प्रावधान में बताए गए विभिन्न आयोगों या चूकों में से कौन सी अवधि को छह महीने से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक निर्धारिती को नोटिस नहीं दिया जाता, तब तक निर्धारिती को विभाग के मामले को पूरा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उक्त उप-धारा के प्रावधान में उल्लिखित चूक एक से अधिक हैं और यदि उत्पाद शुल्क विभाग प्रावधान पर भरोसा करता है तो इसे विशेष रूप से कारण बताओ नोटिस में बताया जाना चाहिए, जो निर्धारिती के खिलाफ उक्त परंतुक चार कोनों के भीतर आने वाला आरोप है।..."

(जोर दिया गया)

26. इसलिए, इस तथ्य के कारण कि अधिनियम की धारा 28 के प्रावधान के तहत दुर्भावनापूर्ण आचरण को साबित करने का भार राजस्व पर है; इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस में किसी विशिष्ट कथन का उल्लेख नहीं मिलता है जो कि उक्त परंतुक के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है; और रिकॉर्ड पर कुछ भी अपीलकर्ता की ओर से जानबूझकर की गई चूक को प्रदर्शित नहीं करता है, हम मानते

हैं कि उक्त प्रावधान के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को अपीलकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

27. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपील की अनुमति दी जाती है और नीचे दिए गए अधिकारियों के निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपनी लागत वहन करनी होगी।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के

लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।